



सं० सं०-टी-3/भवन-57/2013-...../

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)

नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/पटना, दिनांक-...../...../2025

विषय:- क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय, बिहार एवं राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTIW), पटना की स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बिहार पटना को कुल रु० 47,72,600/- (सैंतालीस लाख बहत्तर हजार छः सौ) मात्र के अग्रिम भुगतान के स्वीकृति के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय, बिहार एवं राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTIW), पटना की स्थापना हेतु कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार को श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दरपुर, बिहटा में 4.00 (चार) एकड़ आवंटित भूमि को सब-लीज के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु कुल रु० 47,72,600/- (सैंतालीस लाख बहत्तर हजार छः सौ) मात्र का भुगतान बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बिहार पटना को किया जाना है।

अतः बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बिहार पटना को कुल रु० 47,72,600/- (सैंतालीस लाख बहत्तर हजार छः सौ) मात्र के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश:- स्वीकृत।

2. उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00-, लघु शीर्ष 050-भूमि, माँग संख्या-26, उप शीर्ष -0101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-अर्जन के लिए विपत्र कोड-26-4250-00-050-0101, विषय शीर्ष- 5302- भू-अर्जन के अंतर्गत कुल रु० 47,72,600/- (सैंतालीस लाख बहत्तर हजार छः सौ) मात्र वित्तीय वर्ष-2024-25 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3. इस राशि की निकासी कर Bihar Industrial Area Development Authority, Bank Name- HDFC Bank, Account No.- 50100451369562, IFSC Code- HDFC0004710, Branch Name-Mahendru, Patna को भुगतान किया जायेगा।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक (LWE) निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना होंगे तथा इस राशि के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

5. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से की जायेगी।

6. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. संचिका संख्या-टी-3/भवन-57/2013 के पृष्ठ-
की सहमति प्राप्त है।

/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग

M

B

ज्ञापांक- टी-3/भवन-57/2013 - /पटना, दिनांक-...../...../2025

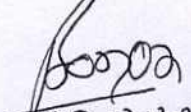
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- टी-3/भवन-57/2013 - 682 /पटना, दिनांक- 27/02/2025

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला कोषागार, पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बियाडा/कार्यकारी निदेशक, बियाडा/उप महाप्रबंधक, बिहटा क्लस्टर, बियाडा /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य, क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय, बिहार एवं राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTIW), पटना (प्राक्कलन की प्रति संलग्न)/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


27.2.25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग